कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित वर्ष 2026 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले **व्यक्तिगत परीक्षार्थियों** के आवेदन पत्र अग्रसारित करने के लिए परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड किए जाने की समय सारिणी निम्नवत् निर्धारित की जाती है:–

व्यक्तिगत छात्र/छात्राओं हेतु	निर्धारित अन्तिम तिथि
1– अग्रसारण केन्द्र के प्रधानाचार्य द्वारा छात्र/छात्राओं का कक्षा–10 एवं 12 के परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र का अग्रसारण तथा परीक्षा शुल्क प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	05 अगस्त, 2025 तक
2– अग्रसारण केन्द्र के प्रधान द्वारा समस्त अर्ह व्यक्तिगत छात्र/छात्राओं से प्राप्त परीक्षा शुल्क को एक मुश्त चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अन्तिम तिथि	10 अगस्त, 2025 तक
3– अग्रसारण केन्द्र के प्रधान द्वारा कोषागार में जमा किये गये परीक्षा शुल्क की सूचना तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत छात्र/छात्राओं से सम्बन्धित शैक्षिक विवरणों को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड करने की अन्तिम तिथि	16 अगस्त, 2025 तक (मध्यरात्रि 12:00 बजे तक)
4– 10 अगस्त, 2025 के पश्चात हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के व्यक्तिगत छात्र/छात्राओं के लिए प्रति परीक्षार्थी रूपया 100/– (एक सौ मात्र) विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से कोषगार में जमा करने की अन्तिम तिथि	16 अगस्त, 2025 तक
5– विलम्ब शुल्क के साथ जमा परीक्षा शुल्क की सूचना तथा छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरण वेबसाइट पर ऑनलाइन अग्रसारित/अपलोड करने की अन्तिम तिथि	20 अगस्त, 2025 तक (मध्यरात्रि 12:00 बजे तक)
6– वेबसाइट पर ऑनलाइन अग्रसारित/अपलोड किये गये छात्र/छात्राओं के विवरणों की चेकलिस्ट प्राप्त कर अग्रसारण केन्द्र के प्रधान द्वारा उनके विवरणों (नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि, जेण्डर, विषय, फोटो आदि) को भली–भॉति चेक (जॉच) करने की अवधि (इस अवधि में वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का अपडेशन प्रतिबन्धित रहेगा)	21 अगस्त से 31 अगस्त, 2025 तक
7– ऑनलाइन अग्रसारित/अपलोड किये गये छात्रों के विवरणों में जॉचोपरान्त यदि किसी प्रकार का संशोधन वांछित है तो उसे अग्रसारण केन्द्र के प्रधान द्वारा पुनः वेबसाइट पर संशोधित/अपडेट करने की अवधि (इस अवधि में किसी नवीन छात्र का विवरण अपलोड/स्वीकार नहीं किया जायेगा। केवल संशोधन ही स्वीकार किये जायेंगे)	01 सितम्बर से 10 सितम्बर, 2025 तक (मध्यरात्रि 12:00 बजे तक)
8– अग्रसारण के प्रधान द्वारा अग्रसारित अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त नामावली एवं तत्सम्बन्धी कोषपत्र की एक प्रति परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	30 सितम्बर, 2025 तक

Scanned with CamScanner

नोट– वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा हेतु संस्थागत परीक्षार्थियों का परीक्षा आवेदन परिषद की वेबसाइट पर भरे जाने हेतु विज्ञप्ति दिनांक 15–07–2025 प्रसारित की जा चुकी है।

वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का विवरण–

क्रम	परीक्षा	संस्था0 / व्यक्ति0	परीक्षा शुल्क	अंकपत्र शुल्क	अग्रसारण शुल्क	योग (रू0पै0)	प्रधानाचार्य के प्रयोगार्थ	कोषागार में जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क की धनराशि
1	हाईस्कूल	व्यक्तिगत	700.00	1.50	5.00	706.50	0.50	706.00
2	हाईस्कूल क्रेडिट सिस्टम	व्यक्तिगत	300.00	1.50	5.00	306.50	0.50	306.00
3	हाईस्कूल विनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय की परीक्षा हेतु	व्यक्तिगत	200.00 (प्रति विषय)	1.50	5.00	206.50	0.50	206.00
1	इण्टरमीडिएट	व्यक्तिगत	800.00	1.50	5.00	806.50	0.50	806.00
2	इण्टरमीडिएट कृषि (भाग–१ एवं २) एवं व्यावसायिक वर्ग के अनुत्तीर्ण छात्र	व्यक्तिगत	800.00	1.50	5.00	806.50	0.50	806.00
3	इण्टरमीडिएट विनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय की परीक्षा हेतु	व्यक्तिगत	200.00 (प्रति विषय)	1.50	5.00	206.50	0.50	206.00

उपर्युक्त निर्धारित तिथि / व्यवस्था के अन्तर्गत हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध व्यक्तिगत परीक्षा आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड करके उसे पूरित करते हुये अपने शैक्षिक अर्हता के साक्ष्यों सहित परीक्षा शुल्क की नकद धनराशि अग्रसारण केन्द्र के प्रधानाचार्य को प्राप्त कराना होगा। तद्नुसार उपरोक्त निर्धारित अवधि में अग्रसारण अधिकारी (प्रधानाचार्य) द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

छात्र / छात्राओं के प्रमाणपत्रों / अंकपत्रों में उनके शैक्षिक विवरण यथा– नाम / माता का नाम / पिता का नाम, जन्मतिथि, जेण्डर, चयनित विषय आदि शुद्ध मुद्रित हो इसके लिए प्रत्येक छात्र / छात्रा के विवरणों को अग्रसारण केन्द्र के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालयी अभिलेखानुसार भली–भाँति जाँच करके ही परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। छात्र / छात्राओं के शैक्षिक विवरणों में किसी भी प्रकार की त्रुटि / विसंगति होने पर इसके लिये सम्बन्धित प्रधानाचार्य ही उत्तरदायी होंगे। अतः हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट के व्यक्तिगत छात्र / छात्राओं के सभी शैक्षिक विवरणों को पूर्ण शुद्धता के साथ परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना अनिवार्य है।

1/8/2025
(भगवती सिंह)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : मा0शि0प0 / सिस्टम सेल / 426-(1-10) दिनांक : 01-08-2025

उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति जनहित से सम्बंधित है। अतएव इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

Scanned with CamScanner

(2) विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(3) महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।

(4) शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति, मा0शि0प0, शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।

(5) अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(6) अपर शिक्षा निदेशक (मा0), शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(7) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

(8) मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

(9) अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/प्रयागराज/वाराणसी/गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

(10) जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति अपने जनपद में व्यापक रूप से प्रसारित करायें। संस्था के प्रधान द्वारा सभी अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क का कोषपत्र 05 प्रतियों में तैयार करके अपने ही जनपद के कोषागार में जमा किया जाएगा। कोषपत्र की 02 प्रतियाँ कोषागार, 01 प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक के पास, 01 प्रति नामावली के साथ परिषद कार्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा 01 प्रति संस्था के प्रधान द्वारा विद्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद के समस्त संस्थाओं से संकलित कोषपत्रों का सत्यापन अधिकतम एक माह के अन्दर कोषागार से करा लेना अनिवार्य होगा। तदोपरान्त सत्यापन की वस्तुस्थिति/संस्तुति से परिषद के सम्बंधित क्षेत्रीय सचिव को अवगत कराया जाएगा। संस्था के प्रधान द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात वेबसाइट से डाउनलोड की गयी नामावली तथा कोषपत्र की 01 प्रति क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा की जाएगी।

1/8/2025
(भगवती सिंह)
सचिव।

Scanned with CamScanner